<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248054 CG-DL-E-12082023-248054

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] No. 567] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (664).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं|

अनुसूची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या	संशोधनों की	तिथि जब तक मानक
सं.		एवं तिथि	प्रतिस्थापन तिथि	तीसरे स्तंभ में इंगित
				संशोधन के बिना भी
				लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 2418 (भाग 2) : 2018	संशोधन संख्या 1	2 अगस्त 2023	1 अगस्त 2024
	सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए प्रतिदीप्त नलिकाकर	अगस्त 2023		
	लैंप			
	भाग 2 कार्यकारिता अपेक्षाएँ			
	(दूसरा पुनरीक्षण)			

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन III/4/असा./349/2023-24]

5205 GI/2023 (1)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (664).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

SI. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 2418 (Part 2): 2018 Tubular Fluorescent Lamps for General Lighting Service Part 2 Performance Requirements (Second Revision)	Amendment No. 1 August 2023	2 August 2023	1 August 2024

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./349/2023-24]